कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 666/2021 ओमप्रकाश चोबदार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा श्री ओमप्रकाश चोबदार के पक्ष में पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 29.01.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/बी–2/अपील/ओमप्रकाश/666/2021 दिनांक 13.02.2021 द्वारा श्री ओमप्रकाश चोबदार, प्रधानाचार्य को राउमावि बिरोल, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री भंवरलाल सैनी का अन्तरिम समायोजन माननीय अधिकरण के अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राउमावि सात्याया जिला जैसलमेर किया गया था।

श्री भंवरलाल सैनी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1474/2021 भंवरलाल सैनी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों एवं निकट सेवानिवृत्ति के मद्देनजर एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी श्री भंवरलाल सैनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का समायोजन/पदस्थापन राउमावि पांचला खुर्द, तिंवरी जिला जोधपुर अथवा राउमावि मदनी, दांतारामगढ़ जिला सीकर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरांत एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों के गहनता से अवलोकन उपरान्त अपीलार्थी श्री भंवरलाल सैनी, प्रधानाचार्य के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका समायोजन स्थान संशोधित कर राउमावि सात्याया जिला जैसलमेर के स्थान पर राउमावि पांचला खुर्द, तिंवरी जिला जोधपुर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्री सैनी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का अपडेशन शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/भंवरलाल/1474/2021/166 दिनांकः 18.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)